हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
22/1/26	पत्रावली पेश हुई। अ०प्र० प्रार्थी उपजी तहसीलदार उज्जैन से रिपोर्ट प्राप्त हुआ नहीं है। Tdr Report का अवलोकन किया गया। Tdr उज्जैन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अस्पष्ट है पुनः स्पष्ट रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावे पत्रावली दिनांक 27/2/26 को पेश हो।	
27/2/26	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 13/3/26 को पेश हो।	
13/3/26	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अ[illegible] [illegible]ार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 17/3/26 को पेश हो।	
17/3/26	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 19/3/26 को पेश [illegible]	
19/3/26	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी। अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 24/3/26 को पेश हो।	
24/3/26	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 01/04/26 को पेश हो।	
1/4/26	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 8/4/26 को पेश हो।	
8/4/26	पत्रावली पेश हुई। अ०प्र० प्रार्थी उपजी तहसीलदार उज्जैन से जवाब प्राप्त होकर शामिल है। अ०प्र० प्रार्थी की	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	प्रीतम सिंह V/S राज्य सरकार	
	बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं पैमाइश रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मि० है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

RPU

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र कमांकः— 09/2025

1. प्रीतम सिंह पुत्र राम खिलाडी जाति जाट निवासी शेरी कला तहसील उच्चैन।

....................प्रार्थी

वनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन भरतपुर राज0।

....................अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 128 एल.आर.ए.

उपस्थितिः—

1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट

निर्णय दिनांकः—

प्रार्थीगण के द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.ए. के तहत पेश कर निवेदन किया है कि मुझ प्रार्थी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी आराजी खसरा नम्बर 153,154 वाकै ग्राम शेरी कला तहसील उच्चैन जिला भरतपुर में स्थित है। जिसके प्रार्थी सम्पूर्ण आराजी के खातेदार काश्तकार काविज आराजी है। प्रार्थीगण ने अपनी उक्त आराजी की पैमाइश हेतु तहसीलदार उच्चैन के समक्ष को प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिसकी पालना में हल्का पटवारी नगला बीजा के द्वारा दिनांक 20.06.2025 को खसरा नम्वर 153, 154 की पैमाइश कर सीमाज्ञान कराया गया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 20.06.2025 को किये गये सीमाज्ञान के अनुसार उक्त आराजी की पत्थरगढी किये जाने के आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार उच्चैन के द्वारा दिनांक 13.01.2026 को जवाव प्रस्तुत किया गया जोकि अस्पष्ट होने के कारण तहसीलदार उच्चैन को पुनः जवाव पेश करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार उच्चैन के द्वारा पुनः जबाव पेश कर निवेदन किया कि उक्त विवादित आराजी पर आज दिनांक तक कोई स्थगन व विवाद नहीं है एवं उक्त आराजी की पैमाइश पूर्व में दिनांक 20.06.2025 को की जा चुकी है। अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी किया जाना उचित होगा।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त विवादित आराजी की पैमाइश दिनांक 20.06.2025 को की जा चुकी है एवं तहसीलदार उच्चैन के द्वारा उक्त आराजी की पत्थरगढी किये जाने की अभिषंशा की है। अतः प्रार्थना पर स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्तागण की बहस तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड पर तहसीलदार उच्चैन के द्वारा प्रस्तुत जबाव एवं पैमाइश रिपोर्ट दिनांक 20.06.2025 पर गौर किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश हैः–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जा कर अप्रार्थी लैण्ड हौल्डर तहसीलदार उच्चैन को आदेशित किया जाता हैं कि वह विवादित जायदाद आराजी खसरा नम्बर 153,154 बांके ग्राम शेरी कला तहसील उच्चैन में यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदि ना हो एवं उक्त आराजी पर कब्जे संबंधी विवाद आदि नहीं हो तो उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थी के खर्चे पर पत्थरगढी करावें। इस बाबत् अप्रार्थी लैण्ड हौल्डर तहसीलदार उच्चैन को कैफियत जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 08.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार हरसोलिया (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर